

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक — एन०ओ०सी०/ _____ / 2011–12 दिनांक : २१ दिसम्बर, 2011

विषय --- सिटी कान्वेन्ट स्कूल, सहतवार, अलिया को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु आपत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है—

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवानीकरण कराया जायेगा;
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत रक्षान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न काजाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार दो किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्त में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली/कॉसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामेनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को राज्यीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य देतनामानों तथा अन्य भत्तों में कम तैतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
 8. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
 9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुगोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 2— उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृ०सं०/एन०ओ०सी०/ 6127/35

/2011-12 तद दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बलिया।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, सिटी कान्चेन्ट स्कूल, सहतवार, बलिया।
8. गार्ड फाइल।

(अरविन्द कुमार पाण्डेय)

संयुक्त शिक्षा निदेशक

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़